अधिकारियों व कर्मचारियो की शक्तियां व कर्तव्य

(क) शक्तिया

उप मण्डल अधिकारी से मुख्य अभियंता तक की वित्तिय एंव प्रशासनिक शक्तिया वेधानिक नियमावली/ प्रावधानो में वर्णित है। यथा नाम :

1. डी एफ आर (विभगीय वित्तिय नियम)
2. पी एफ आर (पंजाब वित्तिय नियम)
3. पंजाब पी डब्ल्यू डी लेखा कूट
4. बीबीएमबी नियम अधिनियम (1974 व 1976 क्रमश:) द्वारा प्रदान अन्य हैयित व कार्यकारी अनुदेश जिनकी क्षेत्रीय कर्मचारियों द्वारा अनुपालना की जाती है का पूरा विवरण दिया हैं।
5. क्रय प्रक्रिया: क्रमांक 35085-35093/बी-1271/वॉल.11/3जी दिनांक 21-7-1999 द्वारा जारी।
6. शक्तियों का प्रत्यायोजन: पंजाब बिजली बोर्ड से अपनाया गया।

(ख) उत्तरदायित्व /कर्तव्य (संदर्भ दस्तावेज: क्यू एम एस व ई एम एस)

बीबीएमबी, सचिवालय

अध्यक्ष, बीबीएमबी:

अध्यक्ष, बीबीएमबी समग्र रूप से संगठन के प्रमुख है। वह राज्य एवं केन्द्रीय सरकार के अधिकारियों के साथ बातचीत के लिए जिम्मेदार है। वह बोर्ड की बैठकों की अध्यक्षता करते हैं एवं संगठन तथा निर्धारित संगठनात्मक लक्ष्यों को नीति दिशा प्रदान करते हैं। बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में उन्होंने विभिन्न विभागों के प्रदर्शन की समीक्षा करते हैं और आवश्यक संसाधन उपलब्ध कराते है।

गुणवत्ता और पर्यावरण प्रबंधन प्रणाली के लिए, अध्यक्ष बीबीएमबी के लिए गुणवत्ता नीति जारी की है। यह नीति संगठन सम्पूर्ण संगठन में लागू की गई है एवं आवश्यक उद्देश्यों प्रक्रियाओं एवं योजनाओं का गठन किया गया हैं। सदस्य/सिंचाई, सदस्य/विद्युत एवं अन्य प्रमुख पदाधिकारियों के साथ अध्यक्ष उनके लगातार सुधार में

गुणवत्ता प्रबंधन प्रणाली (क्यूएमएस) और पर्यावरण प्रबंधन प्रणाली (ईएमएस) और प्रयास का मूल्यांकन करने के लिए प्रबंधन समीक्षा आयोजित करता है।

पूर्ण कालिक सदस्य

इस फाइल पर हम पंजाब पुनर्गठन अधिनियम, 1966 में संशोधन किए बिना भाखड़ा ब्यास प्रबन्ध बोर्ड के पूर्णकालिक सदस्यों के कार्य और कर्तव्य निर्धारित करने के लिए उपयुक्त विकल्प तलाशने के प्रश्न पर विचार कर रहे हैं।

2. उपर्युक्त के संबंध में, ऊर्जा मंत्रालय, विद्युत विभाग द्वारा भाखड़ा ब्यास प्रबन्ध बोर्ड विनियम 1974 के प्रस्तावित संशोधन का प्रारुप भी फाइल में दिया गया है। प्रस्तावित नियम पुनः नीचे प्रस्तुत किया जाता है-

पूर्ण कालिक सदस्यों के कार्य

दो पूर्णकालिक सदस्य अपने-अपने संबंधित क्षेत्रों में कार्यों और प्रशासन के सर्वकार्यप्रभारी होंगे।

3. मुझे प्रशासनिक मंत्रालय और बोर्ड के अधिकारियों के साथ विचार-विमर्श का भी लाभ मिला।
4. इस मंत्रालय द्वारा मामले की बार-बार जांच की गई है। विद्युत मंत्रालय ने भी हमारे द्वारा समय-समय पर दी गई सलाह को अग्रेषित किया है। संक्षिप्त रूप में केवल यही कहा जा सकता है कि पंजाब पुनर्गठन अधिनियम 1966 की धारा 79(7) के अन्तर्गत बोर्ड केन्द्र सरकार के अनुमोदन से ऐसी शक्तियों, कार्यों और कर्तव्यों को, जिसे भी उपयुक्त समझे, बोर्ड के अध्यक्ष या बोर्ड के अधीनस्थ किसी अधिकारी के पक्ष में प्रदान कर सकता है। यह बात कहने का कोई लाभ नहीं है कि पूर्ण कालिक सदस्य बोर्ड के अधीनस्थ अधिकारी नहीं हैं। अतः इस उपबंध को देखते हुए बोर्ड के पूर्णकालिक सदस्यों को शक्तियों का प्रदत्तीकरण कानूनी तौर पर संभव नहीं होगा।
5. यदि हम प्रस्तावित नियम को देखें तो, प्रतीत होता है कि इस नियम के परिणामस्वरुप, पूर्णकालिक सदस्य अपने-अपने संबंधित क्षेत्रों के कार्यों और प्रशासन के सर्वकार्यप्रभारी होंगे। इसमें पूर्णकालिक सदस्यों द्वारा अनिवार्यतः निर्णय लेना शामिल है जिससे अधिनियम की धारा 79(7) में दिए गए उपबंधों का खण्डन होगा। यह अप्रत्यक्ष रुप से अधिनियम के उपबंधों को अवरूद्ध करना होगा। अतः प्रस्तावित नियम विधिक रुप से सही नहीं होगा। इसका तात्पर्य यह नहीं है कि पूर्णकालिक सदस्य बिना किसी कार्य ही रहेंगे। वास्तव में विद्युत विभाग के अग्रेषित नोट के पृष्ठ-19 का पैरा-2 हमारी पूर्व में दी गई सलाह को सन्दर्भित करता है जिसमें हमने कहा था कि पूर्णकालिक सदस्यों को कोई आदेश करने की शक्ति के बिना कुछ कार्यों का प्रभारी होने का अनुरोध किया जा

सकता है लेकिन निर्णय लेने हेतु समय-समय पर बोर्ड को रिपोर्ट करना होगा। प्रशासनिक मंत्रालय इस पर विचार करे कि क्या पूर्व में दर्शाई गई दिशा उनकी अपेक्षाओं को पूरा कर रही है?

6. संक्षिप्ततः अध्यक्ष पूर्णकालिक सदस्यों को वह कर्तव्य और कार्य सौंप सकता है जिसमें कोई निर्णय न लेना हो। पूर्णकालिक सदस्यों को सलाहकारी और सिफारिशी कर्तव्य जैसे; रिपोर्टें तैयार करना और उनकी जांच करना, निरीक्षण तथा इस तरह के अन्य कार्य सौंपे जा सकते हैं। यदि इन कर्तव्यों और कार्यों का निर्वाह करते हुए उन्हें निर्णय लेने के लिए कहा जाए तो मामले को बोर्ड अथवा अध्यक्ष को भेजना होगा। व्यावहारिक रुप से हम महसूस करते हैं कि पूर्णकालिक सदस्यों के द्वारा दी गई सलाह और सिफारिशों को आमतौर पर अधीनस्थों के द्वारा समादेशों की तरह पालना करनी चाहिए। फिर भी आकस्मिकता की स्थिति में उसकी सलाह या सिफारिश सदैव बोर्ड या अध्यक्ष द्वारा समर्थित हो।

7. हमारे द्वारा बताई गई प्रक्रिया प्रशासनिक तौर पर या विनियमों में संशोधन द्वारा अपनाई जा सकती है ताकि पंजाब पुनर्गठन अधिनियम, 1966 की धारा 79(7) के विनियमों की उल्लंघना न हो।

8. प्रशासनिक मंत्रालय देखने की कृपा करें कि क्या हमारे द्वारा बताई गई प्रक्रिया उनकी जरुरतों को पूरा करती है या नहीं।

9. उपर्युक्त दर्शाए गए कारणों से प्रस्तावित विनियम विधिक तौर पर सही प्रतीत नहीं होता है।

बीबीएमबी (विद्युत संभाग)

भाखड़ा परिसर हेतु आई एस ओ 9001: 2000 के लिए मुख्य अभियंता/उत्पादन एवं प्रबंधन प्रतिनिधि

मुख्य अभियंता/उत्पादन भाखडा बांया व दांया किनारा विद्युत गृह एवं गंगुवाल व कोटला विद्युत गृहो के प्रशासनिक शीर्ष है। इन विद्युत गृहो से सम्बन्धित इलैक्ट्रिकल व मकैनिकल उपस्करो सभी योजनाओ, समन्वय, उत्पादन प्रचालन व अनुरक्षण के जिम्मेवार (उत्तरदायी) है। इन मशीनरी समान/स्पेयर की व्यवस्था

मुख्य अभियंता/उत्पादन भाखडा बाया व दाया किनारा विद्युत गृहो के प्रशासनिक शीर्ष है। वे इन विद्युत गृहो की कैपिटल, अनुसूचित एवं ब्रेक डाउन अनुरक्षण को उनके अभियन्ताओ/कर्मचारियो द्वारा किए जाने वाली इलैक्ट्रिकल व मकैनिकल/उपस्कर/मशीनरी, समान/ स्पेयरस की व्यवस्था नवीकरण नवीनीकरण व आधुनिकीकरण कार्यो का नियमित निरीक्षण करने सम्बन्धित सभी योजनाओ, समन्वय उत्पादन, प्रचालन अनुरक्षण के लिए उत्तरदायी है।

विद्युत संभाग हेतु प्रबधन प्रतिनिधि के रूप में वे निम्न के उत्तरदायी हैं।

अधिकारियों व कर्मचारियो की शक्तियां व कर्तव्य

1. वे गुणवता प्रबंध योजना (क्यू एम एस) के अन्तर्गत स्थापित, कार्यान्वित कायम की गयी अपेक्षित प्रक्रियायो का सुनिश्चित करेगें।

2. संचार के समान्य माध्यमों और क्यू एम एस के अन्तर्गत सुधार, प्रबंधन समीक्षा बैठको द्वारा गुणवता/पर्यावर्णण लेखा परीक्षा की रिपोर्ट सर्वोच्च प्रबधन की करेगे।

3. अपने अधिकार क्षेत्र में ग्राहक की अपेक्षाओ की जानकारी को प्रोत्साहित करेगे।

4. गुणवता प्रबंधन योजना सम्बधी परामर्शी, प्रमाण व निगरानी के सभी मामलों पर समन्वय प्रबंधन समिति (सी एम आर) परामर्श दाता, प्रमाणित संस्था के संपर्क में रहेगे।

अधीक्षण अभियंता/मुख्यालय उत्पादन

क) प्रभावी रूप में दैनिक कार्य करने मे मुख्य अभियंता/उत्पादन को सहयोग करेगे।
ख) मुख्य अभियंता/उत्पादन के विचारार्थ प्रस्तावो की और संस्थापन सम्बधी विषय यथा तैनाती, स्थानान्तरण, पदोन्नति वेतन निर्धारण ऋण/अग्रिम इत्यादि की छानबीन कर प्रस्तुत करेगें।
ग) मुख्य अभियंता/उत्पादन को उत्पादन प्रशासन के अन्तर्गत आने वाले संकर्म से सम्बन्धित समस्त मामले
घ) विभिन्न परिमण्डलों/मण्डलो से प्राप्त भावधिक विवरणियॉ का सग्रहण व संकलन करेगें।
ङ) आन्तरिक क्षेत्र के दस्तावेजो के वितरण व अदयततीकरण से सम्बन्धित गतिविधियां।
च) क्यू एम एस के कार्यान्वयन को समीक्षा का पालन करने में मुख्य अभियंता/उत्पादन से सहयोग करना ।
छ) बीबीएमबी की अन्य प्रक्रियायो मे जब भी जहा की आवश्यकता हो कार्य करना।

अधीक्षण अभियंता/भाखडा विद्युत गृह परिमण्डल

क) भाखडा बांया किनारा व दांया किनारा विद्युत गृहों के प्रशासनिक एवं तकनीकी शीर्ष
ख) भाखडा बांया किनारा व दांया किनारा विद्युत गृहो के प्रचालन व अनुरक्षण नवीकरण नवीनीकरण एवं उन्नयन का समग्र नियंत्रण् व समीक्षा करना ।
ग) पी एस ई बी के दस्तावेज कि शक्तियों के प्रत्यायोन के अन्तर्गत उनकी शक्तियों में पडने वाले प्रशासनिक अनुमोदन एवं तकनीकी प्राक्कलनो की स्वीकृति देगे ।

घ) मुख्य अभियंता/उत्पादन के माध्यम से भाखडा बांया किनारा व दांया किनारा विद्युत गृहों से सम्बन्धित बजट को बोर्ड के अनुमोदनार्थ भेजे जाने वाले बजट की समीक्षा व अग्रेषण करेगे। कार्यो के व्यय एवं प्रगति का नियमित मौनिटरन करेगे।

ङ) शक्तियो के प्रत्यायोजन के अनुसार उनके नियन्त्रणाधीन भाखडा विद्युत गृहो के प्रचालन व अनुरक्षण हेतु, आवासीय व गैर आवासीय भवने व कार्यालयो सिविल अनुरक्षण सहित अपेक्षित समान व स्पेअर का प्रापण करेगें।

च) सम्बन्धित कार्यकारी अभियंता/उपमण्डल अधिकारी के माध्यम से भण्डारो व निपटान के समग्र नियन्त्रण, परिवहन/ भारी मोटर वाहनो एवं उनके अनुरक्षण का समग्र नियन्त्रण ।

छ) भाखडा बांया किनारा विद्युत गृह स्थित जांच प्रयोगशाला का समग्र नियन्त्रण

अधीक्षण अभियंता/नहर विद्युत गृह परिमण्डल

क) गंगुवाल व कोटला विद्युत गृहों, मुख्य इन्टरलिकिग, सबस्टेशन व 220 केवी भाखडा गंगुवाल और 66 के वी भाखडा फैक्टरी फीडरो के प्रशासनिक व तकनीकी शीर्ष

ख) गंगुवाल व कोटला विद्युत गृहो के नवीकरण, नवीनीकरणव उन्नयन व मुख्य इन्टरिलकिंग सब स्टेशन और फीडरो के प्रचालन एवं अनुरक्षण का समग्र नियन्त्रण व समीक्षा करना।

ग) पी एस ई बी के दस्तावेज शक्तियो के प्रत्यायोन के अन्तर्गत उनकी शक्तियों में आने वाले प्रशासनिक अनुमोदनो एवं तकनीकी प्राक्कलनो की स्वीकृति प्रदान करना ।

घ) मुख्य अभियंता/उत्पादन के माध्यम से गंगुवाल व कोटला विद्युत गृहो, मुख्य इन्टरलिकिंग सब स्टेशन एवं फीडरो से सम्बंधित बोर्ड के अनुमोदनार्थ भेजे जाने वाले बजट की समीक्षा व अग्रेषण करना

ङ) सम्बंधित कार्यकारी अभियंता/उप मण्डल अधिकारी के माध्यम से भण्डारो व निपटान का समग्र नियन्त्रण, परिवहन मोटर वाहनो व उनके अनुरक्षण का समग्र नियन्त्रण

अधीक्षण अभियंता/पौंग विद्युत गृह परिमण्डल

क) पौंग विद्युत गृह के प्रशासनिक व तकनीकी शीर्ष

ख) पौंग विद्युत गृह के प्रचालन व अनुरक्षण का समग्र नियन्त्रण एवं समीक्षा करना

ग) पी एस ई बी दस्तावेज शक्तियो के प्रत्यायोजन के अन्तर्गत उनकी शक्तियों के अनुसार प्रशासनिक अनुमोदन एवे तकनीकी प्राक्कजनो को स्वीकृत करना

घ) मुख्य अभियंता/उत्पादन के माध्यम से पौंग विद्युत गृह से सम्बंधित बोर्ड के अनुमोदनार्थ भेजे जाने वाले बजट की समीक्षा व अग्रेषण करना।

ङ) शक्तियों के प्रत्यायोजन के आधार उनके नियन्त्रण के अन्तर्गत पौंग विद्युत गृह आवासीय व गैर आवासीय भवनो कार्यालयो और सिविल अनुरक्षण सहित प्रचालन एवं अनुरक्षण हेतु अपेक्षित समान व स्पेअरस का प्रापण करना

च) परिवहन/ भारी मोटर वाहनो और अनके अनुरक्ष का समग्र नियन्त्रण, सम्बन्धित कार्यकारी अभियंताओ/उप मण्डल अधिकारी के माध्यम से भण्डारो व निपटान का समग्र नियन्त्रण ।

अधीक्षण अभियंता/ देहर विद्युत गृह परिमण्डल

अधीक्षण अभियंता/देहर विद्युत गृह, देहर विद्युत गृह परिमण्डल के प्रशासनिक व तकनीकी शीर्ष हैं। वे निम्न के लिए उत्तरदायी हैं :

क) केन्द्रीय विद्युत प्राधिकार (सीईए) द्वारा नियत उत्पाद लक्ष्यो को प्राप्त करने के लिए हर सम्भव प्रयास करने हेतु

ख) निदेशक/पीआर बीबीएमबी चण्डीगढ द्वारा निश्चित अपेक्षित पद्यति के अनुसार देहर विद्युत गृह उत्पादक इकाईओ का परिचालन

ग) पद्यति मांग की अपेक्षानुसार देहर उत्पादन इकाईयो एवं स्विचयार्ड की तैयारी हेतु अपेक्षित अनुरक्ष के सभी कार्यो को पूर्ण करना

घ) देहर विद्युत गृहो के समग्र कार्यो मे आगे सुधार हेतु संदर्श योजना तैयार करना।

ङ) संयत्रो, टूलों व मशीनरी से सम्बंधित विभिन्न अनुरक्षण कार्यो को नियत करने सम्बंधी समग्र योजना/योजना लेख कार्यक्रम/वरीयता का निधारित करना।

च) देहर विद्युत गृह को निर्विहन चलाने और अनुरक्षण् के लिए आवश्यक मानवशक्ति की व्यवस्था करना।

छ) देहर विद्युत गृह को निर्विहन चलाने और अनुरक्षण आवश्क स्पेअरस/समान की व्यवस्था करना।

ज) बीबीएमबी द्वारा प्रदत शक्तियों के अनुसार बीबीएमबी के उच्चतर प्राधिकारियो सहित प्रावकलतो के कार्यो/तकनीकी स्वीकृतियों को प्रशासनिक अनुमोदन देकर क्रयादेशों/कार्यादेशो को भेजने की व्यवस्था, बजट को तैयार करना/ अन्तिम रूप देना ।

झ) समय-समय पर अनुरक्षण कार्यो की तकनीकी लेखापरीक्षा/निरीक्षण एवं विभिन्न कार्यो की प्रगति/निष्पादन का मोनिटरन करना।

ञ) वास्तविक/सम्भावित समस्याओ के अनुसार दोषनिवारक/निवारक कार्यवाही/उपाय करना

ट) जब भी आवश्यकता पडे अधीनस्थो एवं उच्चतर प्राधिकारियों के साथ प्रशासनिक/तकनीकी मामलो/समीक्षाओ के बारे में सामान्य बैठक का आयोजन करना।